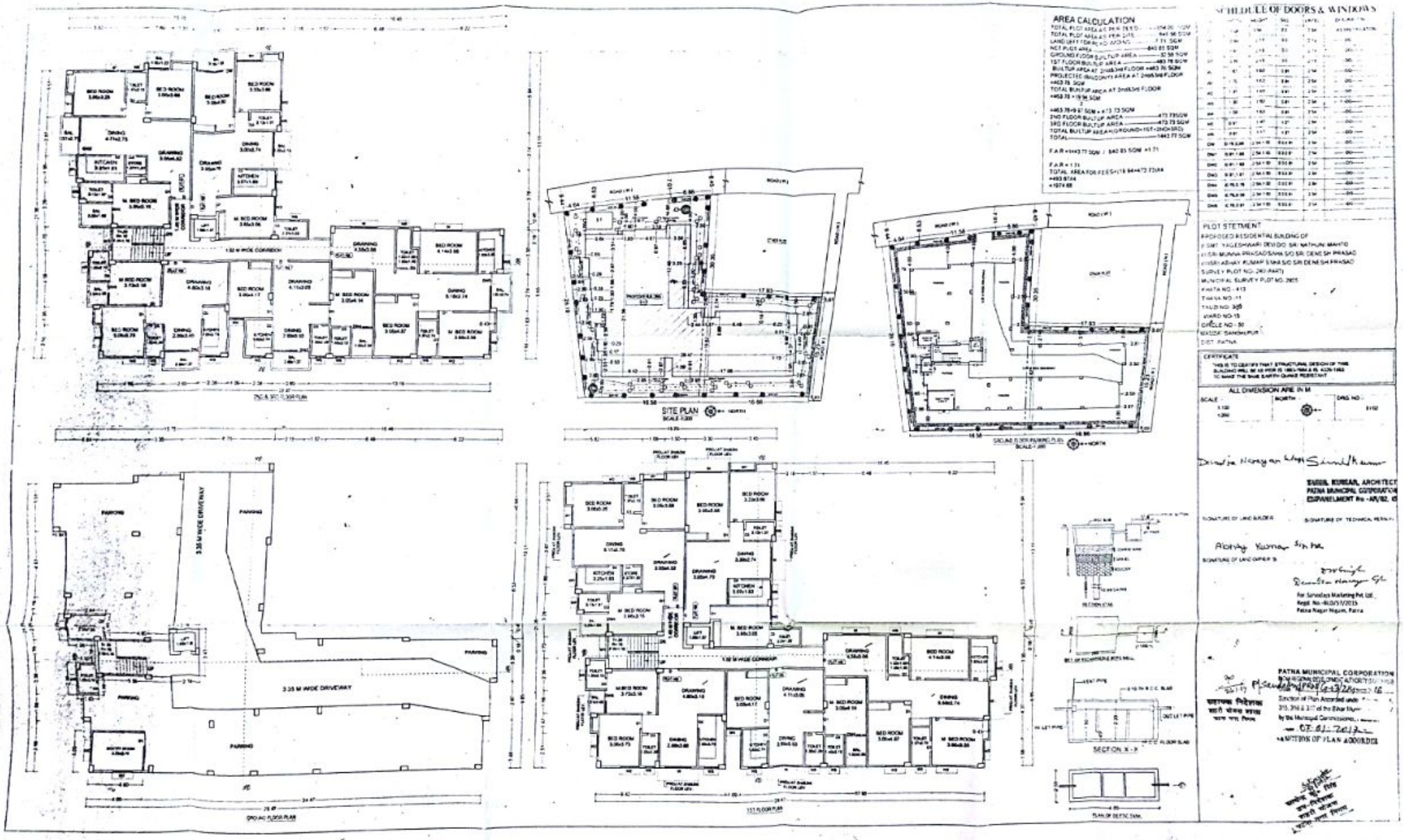

AREA CALCULATION
SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS
PLOT STETMENT
CERTIFICATE
ALL DIMENSION ARE IN M
SITE PLAN
GROUND FLOOR PLAN
1ST FLOOR PLAN
SECTION X - X
PLAN OF SEPTIC TANK
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

पटना नगर निगम

ब्लॉक-सी, द्वितीय तल, मौयलोक कम्पलेक्स, डाक बंग्ला रोड, पटना-800001

पत्र संख्या-...910...../प0न0नि0

प्रेषक,

उप निदेशक,
शहरी योजना शाखा,
पटना नगर निगम, पटना।

सेवा में,

श्री देवेन्द्र नारायण सिंह,
L/001, ब्लॉक-B,
डी.एम.निर्मदा अपार्टमेन्ट,
नागेश्वर कॉलोनी, बोरिंग रोड, पटना

पटना, दिनांक-...28./.01...../2017 ई0।

विषय:- **प्लान केस सं०-P/Sandalpur/PRN/G+3/214/2016 की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

आपके आवेदन सं0-P/Sandalpur/PRN/G+3/214/2016 दिनांक-08.07.2016 के संदर्भ में श्री देवेन्द्र नारायण सिंह, नागेश्वर कॉलोनी, बोरिंग रोड, पटना भवन निमार्ण के लिए पटना नगर निगम/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के सर्वे प्लॉट सं0-240 (अंश), सर्किल नं0-50, थाना अगमकुआँ, थाना सं0-11, तौजी सं0-303, खाता सं0-413, मौजा-संदलपुर, पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 431.21 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 07.01 मीटर से 09.44 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ड़) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी

योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों 07.71 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित/की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वत: रद्द समझी जाएगी।

(ञ) नक्शा की स्वीकृति के क्रम में आवश्यक दस्तावेजों में अमीन का सत्यापन प्रतिवेदन अनिवार्य दस्तावेज होता है। इसलिए आवेदक ने अपने दस्तावेजों में निजी अमीन, श्री प्रदीप कुमार द्वारा तैयार प्रतिवेदन संलग्न किया है। इसलिए भविष्य में निगम को अमीन की नियमित सेवा उपलब्ध होने पर वर्त्तमान संलग्न अमीन प्रतिवेदन के सत्यता की जाँच कराने पर किसी प्रकार की त्रुटि/अनियमितता पाये जाने की स्थिति में आवेदक पूर्णत: उत्तरदायी होंगे तथा स्वीकृत नक्शा स्वत: रद्द समझा जायेगा।

(ट) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन,

Satyendra 27/01/12

उप निदेशक,
शहरी योजना,
पटना नगर निगम, पटना।

''बेहतर हो पहचान अपना, विकसित राजधानी सुन्दर पटना''